छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक–7–ए, द्वितीय तल, ऑफिस कॉप्लेक्स, सेक्टर–24, अटल नगर, मुख्यालय–रायपुर
GST- No. 22AACCC1772C1ZB

कमांक / सामान्य / निवि.प्रका. / 2020 / 79 रायपुर, दिनांक– 22/06/20

//निविदा सूचना//

निगम मुख्यालय में सिक्युरिटी व्यवस्था हेतु छ.ग. राज्य के प्रतिष्ठित लाईसेंस–धारक निविदादाता से निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 13.07.2020 को दोपहर 1.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। प्रारूप, नियम, शर्ते एव अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है अथवा शासन के वेबसाईट **https://www.cgstate.gov.in** पर भी देखा जा सकता है। प्रस्तुत निविदा के साथ रू. **10,000/–** (दस हजार मात्र) अमानत राशि निविदाकार द्वारा जमा किये जावेंगे । **निविदा फार्म निःशुल्क है।**

1. निविदा दिनांक 13.07.2020 को ही समय 1.00 बजे दोपहर तक जमा की जावेगी।
2. निविदा खोलने की तिथि –13.07.2020 समय– 3.00 बजे दोपहर स्थान मुख्यालय नवा रायपुर

किसी भी निविदा को बिना कारण बताये मान्य अथवा अमान्य किये जाने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक के पास होगा ।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रबंधक (सामान्य)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक–7–ए, द्वितीय तल, ऑफिस कॉप्लेक्स, सेक्टर–24, अटल नगर, मुख्यालय–रायपुर
GST- No. 22AACCC1772C1ZB

प्रति,

.....
.....
.....

विषय :– निगम मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा दर प्रस्तुत करने बाबत् ।

विषयान्तर्गत निगम मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु, लाईसेंस धारी सुरक्षा एजेंसियों जिन्हे इस प्रकार के कार्यो का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव हो, से प्रति गार्ड (8 घंटे ड्यूटी) के आधार पर भाव पत्र सील बंद लिफाफा में आमंत्रित किया जाता है ।

इस हेतु शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगे :–

1. संबंधित एजेंसी के पास समस्त वांछित लाईसेंस एवं अनुज्ञा पत्र, वैधता तिथि के साथ उपलब्ध होना चाहिए, वैधता अवधि भाव पत्र तिथि से कम से कम 15–18 माह की उपलब्ध होना चाहिए ।
2. समस्त प्रकार के श्रम कानून, ई.पी.एफ., ई.एस.एल.आई. आदि के पालन की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। स्वीकृत निविदाकार को संबंधित चालान की प्रति निगम को प्रस्तुत करना होगा ।
3. सुरक्षा गार्ड हेतु नियुक्त कर्मी को प्रतिमाह निर्धारित वेतन राशि रूपए 9380/– (ई.पी.एफ./ई.एस.एल.आई. में शासन द्वारा निर्धारित अंशदान, अंशदाता के वेतन से कटौत्रा करने के उपरांत) से कम देय नहीं होगा।
4. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा ।
5. निविदा में सर्विस चार्ज निरंक नहीं होना चाहिए।
6. नियमानुसार देयक में से आयकर, टीडीएस, जी.एस.टी. एवं अन्य लागू नियमों/दरों के अनुसार कटौत्रा की जावेगी ।
7. अनुपस्थिति की अवधि में नियुक्त सुरक्षाकर्मी के वेतन से नियमानुसार कटौती की जावेगी एवं प्रति ड्यूटी रूपए 100/– की दर से अतिरिक्त कटौत्रा की जावेगी ।
8. सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए गार्ड साक्षर, सुव्यवस्थित एवं साफ–सुथरे यूनिफार्म में होने चाहिए ।
9. निगम मुख्यालय की सुरक्षा की दृष्टि से 24 घंटा सेवाएं दी जानी होगी ।
10. ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य रहेगा।
11. अवकाश के दिनों में भी सिक्युरिटी गार्ड की सुविधा दिया जाना होगा। किसी भी प्रकार की गार्ड की अनुपस्थिति/लापरवाही होने पर अनुबंधित सिक्युरिटी गार्ड सर्विस के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/किसी भी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सुरक्षा एजेंसी से हानि की राशि वसूल की जावेगी ।
12. एजेंसी का रजिस्टर्ड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित होना चाहिए। इस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13. निविदा में भाग लेने के लिए फर्म अथवा कंपनी का होना अनिवार्य है। निविदाकार चाहे तो कंसोर्टियम (Consortium) बना के भी निविदा में भाग ले सकता है।
14. प्रस्तुत दर अनुबंध तिथि से 02 वर्ष के लिए वैध होगी, जिसे तीन माह की अवधि तक निगम द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।
15. प्रस्तुत निविदा के साथ रू. 10,000/– अमानत राशि डी.डी. के रूप में जो कि छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर के नाम पर देय हो। दर स्वीकृति पश्चात् 10,000/– रू. जमानत राशि के रूप में जमा किया जाना होगा। यदि निगम चाहे तो जमा की गयी अमानत राशि को जमानत के बतौर समायोजन किया जा सकता है।
16. उभय पक्षों के मध्य इस निविदा तथा अनुबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने के 60 दिवस के भीतर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। जिसका निराकरण प्रस्तुति दिनांक से 30 दिन के भीतर किया जावेगा। उक्त 30 दिन की समय सीमा उभयपक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई पक्ष, प्रबंध संचालक द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट हो या प्रबंध संचालक के द्वारा उक्त समयावधि में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता तो, क्षुब्ध पक्ष उक्त विवाद को निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़

माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है। जिसका निराकरण छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के तहत होगा, जो अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।"

17. अनुबंधित सिक्युरिटी गार्ड सर्विस द्वारा अनुबंधित समय सीमा तक कार्य नहीं करने अथवा नियम/शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर जमा राशि निगम द्वारा बिना सूचना दिए राजसात की जावेगी एवं जमा अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

18. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अपने लेटर पेड में दरें समस्त वांछित दस्तावेजों यथा लाईसेंस/पेनकार्ड/सर्विस टैक्स पंजीयन पूर्व अनुभव आदि की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर निम्न प्रारूप में उसी दिनांक 13.07.2020.को दोपहर 1.00 बजे तक जमा किया जावेगा।

19. प्रस्तुत दर समस्त कर सहित निम्नांकित सीरियल क्रमांक 23 तालिका में भरना है। दरें जो निविदाकार द्वारा भरी जावेगी उसे Rounding off नहीं करना है। दरें राऊंडिंग ऑफ करने पर ऐसी निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

20. दर स्वीकृत होने के उपरांत सात दिवस के अंदर 100/– रू. के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।

21. असफल निविदाकारों की जमा की गई अमानत राशि को मूलतः वापस कर दिया जावेगा।

22.

क.	फर्म का नाम एवं पूरा पता एवं मोबाईल क्रमांक	लाईसेंस क्रमांक एवं वैधता तिथि
1	2	3

23. निम्नांकित तालिका में दरें स्पष्ट रूप से पृथक–पृथक भरें।

क.	विवरण	दर प्रति गार्ड अकुशल (अंको में)	रिमार्क
A	वेतन	9380/–प्रतिमाह	
B	ई.पी.एफ. 13 %	1219.40	
C	ई.एस.एल.आई.3.25%	304.85	
D	सर्विस चार्ज (निरंक नहीं भरा जावे)		
E	योग (A+B+C+D)		Rounding off नहीं करना है।
F	जी.एस.टी.18% of E		
G	कुल योग E+F		

24. अन्य किसी जानकारी अथवा सूचना हेतु निगम मुख्याालय से संपर्क करें ।

प्रबंधक (सामान्य)

फर्म का नाम/हस्ताक्षर :– .....

सील :–